क्रम-संख्या–200(क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 20 दिसम्बर, 2025

अग्रहायण 29, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2

संख्या 2340/81-2–2025-29(45)-2025
लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प0आ0–227

चूंकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
लखनऊ	सरोजनीनगर	अमौसी	अमौसी	78क मि0	0.2880	**उत्तर**– ग्राम समदा की सीमा **दक्षिण**– खसरा संख्या–78 ख **पूरब**– खसरा संख्या–78 क का अवशेष भाग **पश्चिम**– खसरा संख्या–78 ख
				कुल	**0.2880**	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2340/LXXXI-2–2025-29(45)-2025, dated December 20, 2025 :

No. 2340/LXXXI-2–2025-29(45)-2025
Dated Lucknow, December 20, 2025

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Khasra no.	Area (In Hectrare)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
Lucknow	Sarojini Nagar	Amausi	Amausi	78 Ka Mi	0.2880	**North-** Village Boundary of Samada **South-** Khasra no. 78 kha **East-** Remaining part of Khasra no. 78 ka **West-** Khasra no. 78 kha
				Total	**0.2880**	

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 295 राजपत्र–2025–(920)–599+25=624 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
295 RPH (Paryavaran Anubhag-2) 2025 data 1e